न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 01/2024 प्रा.पत्र सुपुर्दगीनामा

धीरेन्द्र फाईट कैरियर, पी.आर. धीरेन्द्र सिंह पुत्र शोभासिंह **R/0 Bh Bunk 2/1/2 Madnayakannahalli Tumkurmn Rd Dpura H Banglore Ka-562113** जरिये मुख्त्यार खास इरफान पुत्र फजरू जाति मुसलमान निवासी ग्राम खोड बसाई, तहसील व जिला नूंह मेवात हरियाणा 122103

...प्रार्थी

Web Copy - Not Official

बनाम

1. सरकार जरिए राजकीय अधिवक्ता दौसा
2. रतिराम गुर्जर पुत्र श्री हरिकिशन गुर्जर हाल पोस्टेड ए.एस.आई. पुलिस थाना लालसोट जिला दौसा राज.

...अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा अंतर्गत एफ.आई.आर. नं0 174/2023 पुलिस थाना लालसोट जिला दौसा जुर्म चार्जशीट नंबर 245/2023 दिनांक 11.7.2023 धारा 3, 5, 8 राजस्थान गोवंश अधिनियम, 1995

उपस्थितः1. श्री अब्दुल मजीद, अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः 25.6.2024

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा इस प्रकार है कि थानाधिकारी पुलिस थाना लालसोट जिला दौसा द्वारा दिनांक 14.04.2023 को 32 गायें भरकर ले जा रहे केंटरा वाहन संख्या **KA 52 A 8812** को अभियोग संख्या 174/2023 अंतर्गत धारा 3, 5, 8 गोवंश अधिनियम 1995 में जब्त किया गया। पुलिस थाना लालसोट द्वारा उक्त जब्तशुदा उक्त केंटरा वाहन संख्या **KA 52 A 8812** को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पुलिस थाना लालसोट से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा की एक प्रति राजकीय अधिवक्ता को दी गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थी ने सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी है कि थानाधिकारी पुलिस थाना लालसोट जिला दौसा द्वारा जुर्म धारा 3, 5, 8 राज0 गोवंश अधिनियम में वाहन केंटरा संख्या **KA 52 A 8812** मॉडल 2019 केन्ट्रा को उक्त जुर्म में जब्त किया गया। प्रार्थी मुख्त्यार खास उक्त वाहन के पंजीकृत स्वामी धीरेन्द्र सिंह पुत्र शोभासिंह **R/0 Bh Bunk 2/1/2 Madnayakannahalli Tumkurmn Rd Dpura H Banglore Ka-562113** का मुख्त्यार खास है एवं उक्त जब्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी है। प्रार्थी मुख्त्यार खास का उक्त वाहन पुलिस थाना लालसोट में खडा–खडा खराब हो रहा है। उसका अनुसंधान भी पूर्ण हो चुका है व चालान भी पेश हो चुका है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.08 14:25:53 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

उक्त वाहन की पुलिस को अब कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी को उक्त वाहन के अभाव में आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थी को उक्त वाहन की आवश्यकता है जिसे सुपुर्दगी पर दिया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। प्रार्थी उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने का मुख्त्यार खास की हैसियत से अधिकारी है। प्रार्थी न्यायालय श्रीमान के आदेशानुसार संतुष्टि के सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पेश करने को तैयार व तत्पर है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पुलिस थाना लालसोट द्वारा जब्तशुदा कैंटरा वाहन संख्या **KA 52 A 8812** को सुपुर्दगी पर प्रार्थी को दिये जाने के आदेश प्रदान करावें।

4. राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि पुलिस थाना लालसोट द्वारा वाहन संख्या **KA 52 A 8812** कैन्ट्रा को अभियोग संख्या 174/2023 में राजस्थान गोवंश अधिनियम 1995 के अंतर्गत दिनांक 14.4.2023 को जब्त किया गया था। राजकीय अधिवक्ता ने यह भी दलील दी कि पुलिस थाना लालसोट द्वारा प्रकरण में जब्तशुदा वाहन संख्या कैंटरा वाहन संख्या **KA 52 A 8812** को गो वंश 32 गायों का अवैध परिवहन करते हुए जब्त किया गया है। पुलिस थाना लालसोट द्वारा चार्जशीट नंबर 245/2023 दिनांक 11.7.2023 धारा 3, 5, 8 राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम 1995 व 3/181 मोटर वाहन अधिनियम में किता की जाकर दिनांक 20.9.2023 को माननीय न्यायालय श्रीमान एसीजेएम क्र.सं. 1 लालसोट जिला दौसा में पेश की जा चुकी है। माननीय सिविल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने से उक्त वाहन को प्रार्थी को सुपुर्दगी में नहीं दिया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा खारिज फरमाया जावे।

5. हमने बहस पर मनन किया गया।

6- इस संबंध में The rajasthan bovine animal (prohibition of slaughter & regulation of temprorary migration or export) act, 1995 की निम्न धाराएं अवलोकनीय है:–

2(g):- "Competent Authority" means Collector of a District and includes any other officer who may be authorised in this behalf by the State Government by notification in the Official Gazette to exercise the powers and perform the functions of the Competent Authority under this Act or the rules made thereunder for such area or areas and for such period as may be specified in the notification

6-A(3):- Whenever any means of conveyance as referred to in sub-section (1) is seized in connection with commission of an offence under this Act, the Competent Authority shall have, and notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, any Court, Tribunal or other authority shall not have, jurisdiction to make order with regard to the possession, delivery, disposal or release of such means of conveyance.

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.08 14:25:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय की पत्रावली एवं पुलिस थाना लालसोट द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पुलिस थाना लालसोट जिला दौसा द्वारा दिनांक 14.4.2023 को जुर्म धारा 3, 5, 8 राजस्थान गो वंश अधिनियम 1995 के अंतर्गत 32 गायें कैंटरा वाहन नंबर **KA 52 A 8812** को जब्त किया जाकर एफआईआर संख्या 174/2023 दर्ज की गई। पुलिस थाना

Devendra
जिला कलक्टर, दौसा

लालसोट द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि प्रकरण में नतीजा चार्जशीट नंबर 245/2023 दिनांक 11.7.2023 धारा 3, 5, 8 राजस्थान गोवंश अधिनियम 1995 व 3/181 मोटर वाहन अधिनियम में किता की जाकर दिनांक 20.9.2023 को माननीय न्यायालय श्रीमान एसीजेएम क्र.सं. 1 लालसोट जिला दौसा में पेश की जा चुकी है। प्रार्थी द्वारा गोवंश पशुधन को विधिक रूप से क्रय किये जाने का भी कोई प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही प्रकरण माननीय न्यायालय एसीजेएम क्र.सं. 01 लालसोट में जैरकार होने के कारण हम जब्तशुदा वाहन को प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिया जाना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

Web Copy - Not Official

Devendra
(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 25 जून, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस के भीतर की जा सकेगी।

Devendra
(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.08 14:25:53 IST
Reason: SelfAttested